

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी—श्री नरेन्द्र गुप्ता आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या— 14/2021

बउनवान

बद्रीलाल उम्र 50 वर्ष पुत्र श्री लाला जाति मीणा निवासी कालाखेडा तहसील बारां, जिला बारां (राज०) (अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार, बारां जिला बारां (राज०)

(रेस्पोंडेंट)



अपील अन्तर्गत धारा-75 भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :-1. श्री धर्मेन्द्र सिंह सोलंकी, अभिभाषक

(अपीलांट)

2. परोकार सरकार

(रेस्पोंडेंट)

निर्णय दिनांक— 18.10.2022

अपीलांट ने जयें अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 09.10.2020 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा-75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय की पेश की है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम कालाखेडा तहसील-बारां की आराजी खसरा नम्बर 179 रकबा 0.30 है., किस्म-चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 150/- रुपये अर्थदण्ड एवं 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपीलांट ने अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का सही अवलोकन नहीं कर एकतरफा निर्णय फरमाया गया है जो निरस्तनीय है। अपीलांट की अनुपस्थिति में निर्णय फरमाया गया है जिससे अपीलांट को जवाबदेही व साक्ष्य पेश करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वतंत्र गवाहान के बयान भी नहीं लिये केवल पटवारी हल्का के बयानों के आधार पर सजायाब किया गया है जो निरस्त योग्य है। अपीलांट ने न्यायालय द्वारा आरोपित जुर्माना जमा करवा दिया है अपीलांट की खातेदारी की भूमि खाली पडी हुई है तथा अपनी आराजी पर कोई कृषि कार्य नहीं किया है अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 09.10.2020 निरस्त किया जावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जयें सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर हमने प्रकरण बहस हेतु नियत किया।



जिला कलक्टर
बारां (राज०)

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट का किसी सरकारी भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है। अधीनस्थ

न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया तथा मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट एवं बयान के आधार पर अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर सजायाब किये जाने में त्रुटि की है। अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपित किये गये जुर्माने की राशि जमा करवा दी है तथा उक्त आराजी से कब्जा छोड़ दिया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 09.10.2020 निरस्त फरमाया जावे।

दौराने बहस परोकार सरकार ने अपील में अंकित तथ्यों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट बावजूद सूचना अधीनस्थ न्यायालय में अनुपस्थित रहा है। अपीलान्ट विवादित आराजी पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी रहा है, जिसकी पुष्टि पटवारी हल्का के बयान से होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को उक्त आराजी पर पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 360/2020 निर्णय दिनांक 27.02.2020 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने बहस उभयपक्ष की सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया तथा गुणावगुण के आधार पर पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है, अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में बावजूद सूचना अनुपस्थित रहा है। विवादित आराजी पर अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 179 रकबा 0.30 है., किस्म-चारागाह. ग्राम कालाखेडा पर सम्बत् 2076 में भी अतिक्रमण किया था जिसे मिसल नम्बर 360/2020 में पारित निर्णय दिनांक 27.02.2020 से बेदखल किया जाना पटवारी हल्का के बयान से प्रमाणित है। इससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विवादित आराजी पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर ही सजायाब करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलान्ट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 1155/2020 में पारित आदेश दिनांक 09.10.2020 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18.10.2022 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।



(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलेक्टर
बारां (राज०)